अब तक के रेकॉर्ड को किया मजबूत

दूसरा नेता भी ऐसा चुना जाए कि चंद महीनों के अंदर फिर से नेता बदलने को मजबूर होना पड़े, ऐसा बार–बार नहीं होता। बहरहाल, राज्य में चुनाव करीब हैं और इन पांच वर्षों के अच्छे–बुरे अनुभवों के आधार पर आखिरी फैसला मतदाताओं को ही करना है।

सुंदर सिंह।

महज 115 दिन सीएम पद पर रहने के बाद तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया और उनकी जगह पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बनाए गए। तीरथ सिंह रावत का यह संक्षिप्त कार्यकाल उनके बयानों और फैसलों के चलते लंबे समय तक याद रखा जाएगा। खासकर महिलाओं की फटी जींस को लेकर दिया गया बयान और कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद कुंभ की धूमधाम में कमी न आने देने का फैसला उनके पद से हट जाने के बावजूद आगे भी चर्चा का विषय बनते रहेंगे। बहरहाल, इस ताजा बदलाव ने राजनीतिक अस्थिरता के प्रदेश के अब तक के रेकॉर्ड को मजबूत ही किया है। याद किया जा सकता है कि साल 2000 में उत्तराखंड के एक अलग राज्य बनने के बाद से ही वहां मुख्यमंत्री बदलने का सिलसिला शुरू हो गया था। 2002 में कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी के सीएम बनने तक राज्य दो साल में तीन मुख्यमंत्री देख चुका था। तिवारी इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया।

आम तौर पर छोटे राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता ज्यादा देखी जाती है तो उसकी वजह यह होती है कि सदन में कम सदस्य संख्या के चलते सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष में मतों का अंतर कम होता है। दो–चार विधायकों के इधर उधर जाने पर भी सत्ता का संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन उत्तराखंड में हालिया बदलावों के पीछे ऐसा कोई दबाव नहीं रहा। 70 विधायकों वाली उत्तराखंड विधानसभा में पिछले चुनावों में बीजेपी को 57 सीटें मिलीं। जाहिर है, इस तरह का प्रचंड बहुमत देने के बाद भी अगर राज्य के मतदाताओं को कार्यकाल पूरा करने वाली स्थिर सरकार नहीं मिलती है तो उसका दोष आम मतदाताओं के सिर नहीं डाला जा सकता। निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल और उसका प्रबंधन संभाल रहे नेताओं को लेनी होगी। चार महीने के अंदर दो बार बदलाव का ताजा मामला इस बात का उदाहरण है कि बड़े दलों में भी अक्सर फैसले तात्कालिकता के दबाव में ले लिए जाते हैं। अगर किसी नेता का कार्यकाल पार्टी को इस लायक नहीं लगता कि अगले चुनाव में मतदाताओं से उस चेहरे के बल पर वोट मांगा जाए तो वह चुनाव से कुछ पहले उसे बदलने का फैसला कर सकती है। तमाम पार्टियां चुनावों से पहले ऐसे फैसले करती रही हैं। लेकिन वह दूसरा नेता भी ऐसा चुना जाए कि चंद महीनों के अंदर फिर से नेता बदलने को मजबूर होना पड़े, ऐसा बार–बार नहीं होता। बहरहाल, राज्य में चुनाव करीब हैं और इन पांच वर्षों के अच्छे–बुरे अनुभवों के आधार पर आखिरी फैसला मतदाताओं को ही करना है। सो, बेहतर होगा उन्हीं के फैसले का इंतजार किया जाए और नतीजे निकालने का काम फैसला आ जाने के बाद उसी फैसले की रोशनी में किया जाए।

आपका ध्यान

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

विष्णु बोले – नारद मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहां इस कुटिया में रहता है। आश्चर्य है, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है। नारद के मुख से निकला, क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है ? आओ, स्वयं ही जान लोगे। विष्णु ने कहा और उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि, हरि गोविन्द का स्वर निकल रहा था। किसान भेसधारी विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण, नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा – आप कहाँ से आए हैं, भद्र। मेरे लिए कोई सेवा हो तो निःसंकोच बताइये। किसान वेषधारी भगवान विष्णु ने कहा हम नगर जा रहे हैं, पर अँधेरा घिरने लगा है।

संपादकीय

अच्छी नीतियां बनेंगी

क्या देश की जमीनी हकीकत और अगड़ी जातियों की सोच के बीच कोई मेल है? सचाई तो यह है कि देश की कुल आबादी में अगड़ी जातियां 20 प्रतिशत हैं, लेकिन पावर और प्रिविलेज में उनकी हिस्सेदारी 80 प्रतिशत है। जाति जनगणना से उनके इस दबदबे को चुनौती मिल सकती है और यह ठीक ही होगा। आखिरी जाति जनगणना सन 1931 में हुई थी। ऐसी जनगणना फिर से होती है तो सरकार को सामाजिक योजनाओं से बेहतर नतीजे हासिल करने में मदद मिलेगी। इसी कारण से दूसरे देशों में भी जनगणना की जाती है। अमेरिका में नस्लीय आधार पर ऐसी मदद दी जाती है। ब्रिटेन में प्रवासी कहां से आए हैं, इस आधार पर सरकार से उन्हें हेल्प मिलती है। बेशक, आंबेडकर के मन में इसे लेकर डर था। उन्होंने 1947 में कहा था कि जाति जनगणना में 'एससी को कॉमन विक्टिम बनाया जा सकता है। दूसरे समुदायों की लालच की वजह से ऐसा हो सकता है। आखिर जनगणना की प्रक्रिया पर उनका नियंत्रण होगा और वे लालच के कारण इसके नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं।' आंबेडकर के मन में जनगणना के तौर तरीकों को लेकर संदेह था, जिसे आज ईमानदार जनगणना करके बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। भारत में सामाजिक गैर–बराबरी बहुत ज्यादा है, जिसे दूर करने के लिए जाति जनगणना की जरूरत है। इसका वक्त आ गया है और यह काम ईमानदारी से किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट के आधार पर एक कानून बना, जिससे सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिला। इसी कानून के आधार पर साल 2006 से इस वर्ग के लोगों को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में भी रिजर्वेशन दिया गया।

मुश्किल नहीं यह काम

पवन के वर्मा।।

मान लेते हैं कि आपको वैसे लोगों की मदद करनी है, जो किसी संगठन या समूह से होने का दावा करते हैं। वे आपसे अलग आर्थिक, सामाजिक हैसियत रखते हैं। आपसे कम पढ़े–लिखे हैं। तो आप मदद करने से पहले यह नहीं जानना चाहेंगे कि उस समूह में किसे सबसे अधिक सपोर्ट की जरूरत है? या पहले जो मदद आपने की थी, उसका किस तरह से इस्तेमाल हुआ? और आप जो मदद दे रहे हैं, वह कैसे उन लोगों तक पहुंच रही है? ईमानदारी का तकाजा तो यही है कि आप ये सवाल पूछें।

यही बात जाति जनगणना पर भी लागू होती है। 1992 में मंडल कमिशन की रिपोर्ट लागू हुई। इस रिपोर्ट के आधार पर एक कानून बना, जिससे सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिला। इसी कानून के आधार पर साल 2006 से इस वर्ग के लोगों को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में भी रिजर्वेशन दिया गया। मंडल कमिशन की रिपोर्ट लागू होने से पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी–एसटी को 23 प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ था। इस रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी के लिए अलग से 27 प्रतिशत रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। अब अगर ओबीसी आरक्षण देश का कानून है तो क्या सरकार को इस मामले में वही

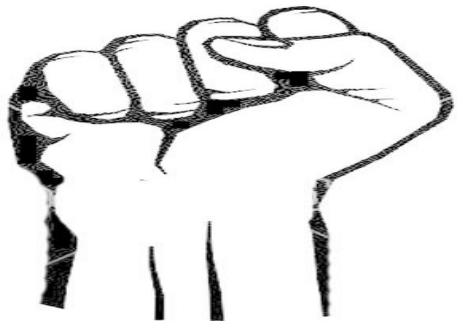

सवाल नहीं पूछना चाहिए, जो कोई व्यक्ति किसी समूह या संगठन की मदद करने से पहले पूछता है? अगर यह सवाल पूछा जाए तो आपका जवाब यही होगा कि हां, ऐसा करना चाहिए। इसलिए हर 10 साल में जाति जनगणना होनी ही चाहिए। इससे ओबीसी की संख्या पता चलेगी। इस वर्ग में अलग–अलग जातियों की आर्थिक हैसियत क्या है, कैसी शिक्षा मिली है और दूसरी डेमोग्राफिक जानकारियां भी मिलेंगी। जाति जनगणना से पता चलेगा कि कहीं आरक्षण का लाभ कुछ ओबीसी जातियों को तो नहीं मिल रहा है? और कौन सी जातियां हैं, जिन्हें इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है? एससी–एसटी के बारे में इस तरह की जानकारी मिलने से सरकार को नीतियों में बदलाव करने का आधार मिला। नीतियां बदलकर कोशिश की गई कि दोनों ही समूहों में अलग–अलग जातियों को बराबरी का लाभ मिल सके।

इसीलिए पिछड़ा वर्ग आयोग ने जाति जनगणना की सिफारिश की और सामाजिक न्याय मंत्रालय की संसदीय समिति ने इसे माना। फिर भी बीजेपी सरकार इसका विरोध कर रही है या कम से कम उसने अपने इरादे नहीं बताए हैं। ओबीसी जनगणना की मांग को लेकर बिहार से एक डेलीगेशन हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। इस डेलीगेशन में नीतीश कुमार और उनके राजनीतिक विरोधी तेजस्वी यादव दोनों ही शामिल थे। हमें बताया गया कि प्रधानमंत्री इस मांग पर सोच–विचार कर रहे हैं, लेकिन संबंधित मंत्री ने संसद में दो टूक कहा कि सरकार ऐसी जनगणना नहीं कराएगी।

ओबीसी जनगणना की मांग जायज है, फिर बीजेपी इसके खिलाफ क्यों है? इसके पक्ष में एक तर्क यह दिया जा सकता है कि जाति जनगणना का काम बहुत मुश्किल है, लेकिन इस दलील में दम नहीं। जब एससी–एसटी की जनगणना की जा सकती है तो ओबीसी की क्यों नहीं! हद से हद इसके लिए जनगणना से जुड़े सवालों में एक और कॉलम जोड़ना होगा। जाति जनगणना के विरोध में यह तर्क भी दिया जाता है कि इससे सामाजिक तनाव बढ़ेगा। यह भी खोखली बात है। डॉ भीमराव आंबेडकर ने 'जातियों को खत्म' करने की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि जातियों का वजूद ही नहीं है।

अष्टयोग-5050

5		2	4	1		
	33		23		33	6
3	7	6			4	5
	42		29		25	
		5		3	2	1
6	37	7	38		33	
	2		4			7

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5049 का हल

6	3	2	4	5	7	1
2	30	7	31	4	34	2
1	5	4	3	2	7	6
5	28	6	31	6	39	3
4	2	1	6	3	5	7
3	30	5	32	7	34	5
7	5	3	6	1	2	4

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

भारत की सचाई कुछ और ही

मोहन। आरएसएस अरसे से 'हिंदुत्व पहचान' की बात करता आया है, जिसमें जातियों की कोई जगह नहीं होगी। वह इस तरह से हिंदुओं को एकजुट करना चाहता है। एक लक्ष्य के रूप में इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन भारत की सचाई कुछ और ही है। इस सचाई को बीजेपी–आरएसएस के नेता बखूबी समझते हैं, तभी तो चुनावों में वे जातीय समीकरणों का अपने हक में इस्तेमाल करते आए हैं। तीसरा कारण इसी चुनावी चक्कर से जुड़ा है। बीजेपी ने हाल में ओबीसी को गोलबंद करने की कोशिश की है। इस वर्ग से 44 प्रतिशत वोट उसे मिले हैं, लेकिन चुनावी कामयाबी के लिए वह काफी हद तक सवर्णों के भरोसे है। अगड़ी जातियों का 60 प्रतिशत वोट उसे मिलता है। इसलिए बीजेपी ओबीसी वोट तो चाहती है, लेकिन अगड़ी जातियों का समर्थन गंवाए बिना। अब दिक्कत यह है कि अगड़ी जातियां ओबीसी को और आरक्षण देने का विरोध करेंगी, भले ही जाति जनगणना से उसका आधार बने। वे पहले भी ऐसा विरोध कर चुकी हैं।